न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण संख्या 4140 / 2015(2015 / 00129)

1. पूरणमल पुत्र श्री छगनलाल
2. टीकमचन्द पुत्र छगनलाल
3. विजय पुत्र छगनलाल
4. शंकर पुत्र छगनलाल
5. संतोष पुत्री छगनलाल
6. विमला पुत्री छगनलाल
7. सोनी पत्नि छगनलाल

समस्त जाति कोली निवासी देवगांव तहसील केकड़ी

––वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

––प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. व 131भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

1. सीताराम कुमावत–वकील वादी
2.पेरोकार सरकार– प्रतिवादी

–:: आदेश ::– **दिनांक– 12.03.2022**

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 मे पेश हुई। वादी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार उपस्थित प्रकरण मे पक्षकारान को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार है

वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 131 लेण्ड रेवन्यु एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के वाद वर्णित आराजी वाके ग्राम देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान के जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता नंबर नया–पुराना 473–464 में खसरा नम्बर 616 रकबा 0.65 है. किस्म गै.मु.नाली जो कि वादीगण के खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता छगनलाल को संन 20.12.1975 मे आवंटन सूची की कम संख्या 42 पर नामान्तकरण स. 243 दिनांक 27.6.1984 से गैर खातेदारी दर्ज हुई तथा नामान्तकरण स. 173 दिनांक 3.1.1998 को वादी स. 1 लगायत 6 के पिता के नाम सहखातेदारी दर्ज हुई। आवंटन के समय से ही वादीगण के कब्जे काश्त में वादग्रस्त भूमि चली आ रही है। वादीगण के अलावा किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कब्जा आधिपत्य नही है। भू प्रबन्ध विभाग के समय पुराने खसरा नंबर 281 के नये नम्बर बनाये गये तब वादीगण के कब्जे काश्त भूमि के स्थानर पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा दूसरे खसरा नम्बर 616 रकबा 0.65 है. जो कि गै.मु. नाली है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में गलत स्थान पर दर्ज हो गया, जबकि वादीगण का कब्जा, जिस स्थान पर ह उस स्थान पर खसरा नम्बर 653 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो गलत है। मौके पर वादीगण का कब्जा 616 ख.न. पर होना बताया गया है । जिससे नक्शे में नम्बर उलट पुलट है। वादीगण द्वारा वर्तमान में कब्जा ख.न. 616 नये [illegible] आवश्यक है। वर्तमान में वादीगण 616 का खातेदार काश्तकार [illegible] है जो नक्शे मे गलत जगह अंकित किया गया , वादीगण का [illegible] कब्जे में है, नक्शें में उस स्थान का नम्बर 616 दर्ज किया जाना [illegible] एवं न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:56:52 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)

Scanned with CamScanner

ख.न. 653 रकबा 0.65 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। नक्शा संवत 2041 के अनुसार खसरा नम्बर 281जिस पर वादीगण काबिज काश्त है को नये नक्शे मे दर्शित 653 के स्थान पर 616 दर्ज किया जाकर नक्शा दुरूस्त किये जानरे का आदेश प्रतिवादी को प्रदान करावें। जिसे स्वीकार किये जाने हेतु वाद पत्र पेश किया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई जिसके दौरान वादीगण मय अधिवक्ता व पैरोकार सरकार के उपस्थित हुये। उन्हे सुना गया। पैरोकार सरकार ने वाद पत्र मे जवाब दावा दिनांक 8.6.2018 को पेश किया तथा प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24.1.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा. दी. सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी पेश किया जिसे वाद स्वीकार कर प्रार्थना पत्र मय संशोधित वाद पत्र के शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार ने पुनः जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। उक्त प्राप्त मौका रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

1. राजस्व ग्राम देवगांव के मुताबिक अभिलेख आराजी ख.न. 616 रकबा 0.65 है. किस्म गै.मु.नाली पूरणमल ,टीकमचन्द, विजयशंकर, संतोष कमला पिता छगनलाल कोली पत्नि छगनलाल कोम कोली सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
2. उक्त आराजीयात के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक आराजी नम्बर 281 मीन किस्म बारानी 3थी। जिसमें रकबा 4 बीघा भूमि दिनांक 20.12.1975 को छगना पिता कल्याण कोली के नाम आंवटन हुयी थी। जो कि वादीगण के पति व पिता के नाम जरिये नामा.स. 243 दिनांक 27.6.84 से छगना पिता कल्याण कोली के नाम वर्किंग जमाबन्दी स. 2041 में दर्ज रिकॉर्ड है एंव नामा.स. 173 दिनांक 3.1. 1998 से उक्त आवंटित 4 बीघा भूमि पर आंवटित छगना पुत्र कल्याण कोली को खातेदारी प्रदान की गई। जो कि तत्समय के राजस्व रिकॉर्ड में पृष्ठाकित है।
3. उक्त आवटित भूमि पर निंविवाद रूप से आंवटित का एंव वर्तमान में उनके वारिसान के कब्जे काश्त चला आ रहा है।
4. वादीगण अपने पिता का नाम आंवटित भूमि पर तत्समय दियें गये कब्जा मौका स्थिति पर काबिज है। किन्तु सन 1984–85 में भू–प्रबन्ध विभाग ने भू – प्रबन्धक कार्यप्रणाली के अन्तर्गत उक्त वादीगणों को उनके काबिज स्थान पर कायम न रखकर साबिक खसरा नम्बर 281 (सिवायचक था) जो बडा नम्बर होने से मिलान क्षैत्रफल के अनुसार कई नम्बर बनाते हुये 281 के ही नवीन नम्बर 616 बनाकर उक्त वादीगणों की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड कर दिया जबकि खसरा नम्बर 616 नवीन नम्बर गै.मु. नाली/ पक्की मौरी में है। जो लगभग 400–500 मीटर लम्बी है। जिस पर वादीगण का कोई लेना देना नहीं है। और न ही वादीगण कें किसी काम की है। जबकि वर्तमान में वादीगण साबिक नम्बर 281 मि.से ही नवीन ख.न. 653 रकबा 10.10है. में काबिज है एवं फसली काश्त करता है।
5. वादीगण के पिता से वरवक्त आंवटित भूमि उसकी मृत्यु के उपरान्त वारिसान काबिज है। जिसे रिकॉर्डे में तरमीम करवाकर किस्म गै.मु. नाली के स्थान पर बारानरी 3 करवाने चाहते है। [illegible] अधिकार का है।
6. वादीगण के वाद अनुसार एंव रिकॉर्ड व [illegible] स्थिति अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 616 रकबा 0.65 है. गै.मु. नाली में सिवायचक [illegible] में दर्ज किया जाना व नवीन खसरा नम्बर 653 रकबा 0.65 है. वादी [illegible] खातेदारी में दर्ज करवाने व उक्त खसरे में कब्जे अनुसार 0.65 है. कि तरमीम करवायी जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में आनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
[illegible] (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:56:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित पक्षकारान को सुना , पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया , मनन किया गया । इसमें वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता छगनलाल को सन् 1975 दिनांक 20.12.1975 की सुची मे कम संख्या 42 पर 4 बीघा भूमि आवंटन होने से वाद पत्र का संतुलन वादीगण के पक्ष मे होना जाहिर होता है पैरोकार सरकार के जवाब अनुसार वादीगण मौके पर काविज काश्तकार है जिससे वाद पत्र का संतुलन वादीगण के पक्ष मे होना जाहिर होता है ।

अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 131 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार कर ग्राम देवगांव तहसील केकडी जिला अजमेर के वर्तमान खसरा नम्बर 616 रकबा 0.65 है. गै.मु. नाली में सिवायचक खाते में दर्ज किया जाना व नवीन खसरा नम्बर 653 रकबा 0.65 है. वादीगण के नाम खातेदारी में अंकन किये जाने एवं उक्त खसरे में कब्जे अनुसार 0.65 है. की तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिकरी पर्चा पृथक से जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 12.3.2022 को सरे इजलास में राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बेंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बेंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:56:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner